राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(75)ग्रावि/नरेगा/Convergence-WRD/2014/RK-00684 जयपुर दिनांकः 1 JUL 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त ।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की नहरों/माईनर/धोरों के डिसिल्टिंग एवं सुदृढ़ीकरण, बैंक मजबूती एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्यो बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक : 26.03.2019, 04.02.2020 एवं 18.06.2020 ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रखरखाव सम्बन्धी कार्यो हेतु मास्टर परिपत्र, 2018–19 के पैरा संख्या 7.4.10 अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न जिलों में "बांध/नहरों के रख–रखाव के कार्य" स्वीकृत नहीं किये जा रहे है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की यथा संशोधित अनुसूची–1 के पैरा–4 (1) I प्रवर्ग 'अ' (iii) अनुसार "सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरूज्जीवन और अनुरक्षण" (Micro and minor irrigation works and creation, renovation and maintenance of Irrigation canals and drains) कार्य अनुमत है।

इस सम्बन्ध में मास्टर परिपत्र 2019–20 के पैरा संख्या 7.4.10 पर उल्लेख है कि "The works permissible under MGNREGA will entail one-time rehabilitation of minors, sub-minors and field channels, including desilting, repair of minor cracks, land leveling, repair of earthen embankments, bank raising and resurfacing canal base with clay, lining of canals, field drains and farm net. Regular O&M will not be a permissible activity under MGNREGA. It is advised that proposals of maintenance of irrigation channels of the GP's (after compilation at block and district level) should be considered in consultation with the Irrigation department.

साथ ही उल्लेख है कि "Only cases where maintenance requirement is established, but could not be addressed as a part of the regular maintenance work, can be considered under Mahtma Gandhi NREGA which may include desilting,

PTO

Scanned with CamScanner

maintenance of canal bunds and repair of lining etc., for which detailed survey, with existing L-section & designed L- section has to be carried out." अतः ऐसे नहरों/माईनर/धोरों के डिसिल्टिंग एवं सुदृढ़ीकरण, बैंक मजबूती आदि कार्यों का क्रियान्वयन ऊपर वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाकर योजनान्तर्गत करवाया जा सकता है। कृपया तदानुसार कार्यवाही करावे।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, सचिवालय, जयपुर।
4. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
5. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner